

प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला बीकानेर – थाना प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो जयपुर.....वर्ष 2022.....
2. प्र.इ.रि.सं. 03 / 2022 दिनांक 7/1/2022
 - (I) * अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम, 2018.... धारा –7.....
 - (II) * अधिनियम भा.द.सं. धारा –
 - (III) * अधिनियम..... धाराएं.....
 - (IV) * अन्य अधिनियम एवं धाराएं
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 187 समय 7.00 PM
 - (ब) अपराध घटने का दिन व समय- गुरुवार दिनांक 06.01.2022 वक्त 03:10 पीएम.....
 - (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक – 29.12.2021 वक्त 01:00 पी.एम.....
4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :-
 - (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब उत्तर-पश्चिम करीब 5 किलोमीटर
 - (ब) पता – कार्यशाला, उ.प. रेलवे, लालगढ़, बीकानेर
बीटसंख्या.....-.....जुरायमदेही सं.....
 - (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो पुलिस थाना-.....
6. परिवादी /सूचनाकर्ता :-
 - (अ) नाम – श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा
 - (ब) पिता/पति का नाम – श्री रामचन्द्र
 - (स) जन्म तिथि/आयु – 60 वर्ष
 - (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
 - (य) पासपोर्ट संख्या..... जारी होने की तिथि..... जारी होने की जगह
 - (र) पेशा – सेवा निवृत्त तकनीशियन I
 - (ल) पता – शास्त्री सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, गली नम्बर-01, रामपुरा-बीकानेर हाल सेवानिवृत्त तकनीशियन-प्रथम, उ.प.रेलवे कार्यशाला, लालगढ़, बीकानेर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :-
8. नरेन्द्र सिवासिया पुत्र श्री पांचुलाल सिवासिया निवासी मकान नम्बर 1581, द्वारका नगर-गली नम्बर 02, करण जनरल स्टोर के पास, वैशाली नगर चौरसियाबास रोड़, अजमेर हाल निवासी मकान कृष्णाकुन्ज श्री हनुमान सिंह शेखावत, आबकारी थाने के पास सिविल लाईन बीकानेर हाल सहायक कार्मिक अधिकारी कार्यशाला, उ.प. रेलवे लालगढ़ बीकानेर।
9. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :- कोई विलम्ब नहीं।
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....
11. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य रिश्वती राशि 12,000/- रुपये
12. पंचनामा यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)
13. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :-
महोदय,

निवेदन है कि श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचन्द्र शर्मा, निवासी शास्त्री सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, गली नम्बर-01, रामपुरा-बीकानेर हाल सेवानिवृत्त तकनीशियन-प्रथम, उ.प.रेलवे कार्यशाला, लालगढ़, बीकानेर ने कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर एक लिखित रपोर्ट मन पुलिस निरीक्षक आनन्द मिश्रा के समक्ष इस आशय की पेश की कि सेवा में, श्रीमान अति० पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर विषय:- रिश्वत मांगे जाने की शिकायत। मान्यवर, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी रेलवे वर्कशॉप लालगढ़ में तकनीशियन-प्रथम के पद पर कार्यरत था और दिनांक 31.07.2021 अधिवर्षता की आयु पर सेवानिवृत्त हुआ हूँ। सेवानिवृत्ति पर नियमानुसार मिलने वाला कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रांट रु. 42,080/- का क्लेम विधिवत रूप से समयावधि के अंतर्गत दिनांक 27.10.2021 को प्रार्थी ने कार्यशाला लालगढ़ में प्रस्तुत कर दिया था, जिसकी छाया प्रति मान्यवर के सुसंज्ञान हेतु संलग्न है। किन्तु मान्यवर, बार बार संबंधित अधिकारी श्री नरेन्द्र कुमार सिवासिया, सहायक कार्मिक अधिकारी, कार्यशाला, लालगढ़ -बीकानेर से सम्पर्क करने के बावजूद भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया

(Signature)

है। तदोपरान्त, प्रार्थी दिनांक 28.12.2021 को पुनः उक्त अधिकारी श्री नरेन्द्र सिवासिया से सम्पर्क करने गया, और मैंने नियमानुसार देय भुगतान करने का आग्रह किया। तब उन्होंने मुझे अपने चैम्बर में बिठा लिया, चाय पिलाई और मुझे उपरोक्त भुगतान करने की एवज में रु. 12,000/- रिश्वत के रूप में मांग की और कहा कि कल शाम 4.30 बजे तक हरहाल में तारा स्टूडियो, जो मंडल रेलवे अस्पताल लालगढ के ठीक सामने स्थित है, पर नकद दें। अतः अब मुझे आज दिनांक 29.12.2021 को साँय 4.30 बजे उक्त तारा स्टूडियो पर मांगी गई रकम 12,000/- पहुँचाने है। मान्यवर आपसे विनम्र आग्रह है कि कृपया प्रार्थी की शिकायत का सत्यापन करते हुए इस भ्रष्ट अधिकारी को नियमानुसार अपनी योजनानुसार ट्रेप की कार्यवाही करने की कृपा करके मुझे अनुग्रहीत करें। सम्मान सहित, संलग्नः यथोक्त क्लेम की छाया प्रति। दिनांकः 29.12.2021 प्रार्थीः हस्ताक्षर परिवादी राजेन्द्र कुमार शर्मा, (राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा) सेवानिवृत्त तकनीशियन-प्रथम, उ.प.रेलवे कार्यशाला, लालगढ, बीकानेर। पताः शास्त्री सीनियर सैकण्डरी स्कूल के पास, गली नम्बर-01, रामपुरा-बीकानेर (राज.) मो.-9214834882

परिवादी राजेन्द्र कुमार शर्मा की लिखित शिकायत का अवलोकन किया गया। मजीद दरियाफत पर श्री राजेंद्र कुमार शर्मा पुत्र श्री रामचंद्र शर्मा उम्र 60 वर्ष निवासी शास्त्री सीनियर सैकेंडरी स्कूल के पास, गली नं 1 रामपुरा बीकानेर (राजस्थान) ने बताया कि मैं तकनीशियन के पद से रेलवे वर्कशाप लालगढ से दिनांक 31.07.2021 को सेवानिवृत्त हुआ था। सेवानिवृत्ति पर मुझे 42080 रुपये का कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट देय है जिसका क्लेम नरेंद्र कुमार सिवासिया, सहायक कार्मिक अधिकारी लालगढ बीकानेर को दिनांक 27.10.2021 को प्रस्तुत कर दिया गया था। परंतु अब तक मुझे भुगतान नहीं किया गया है। मैं नरेंद्र सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी से मिलकर कई बार निवेदन कर चुका हूँ। दिनांक 28.12.2021 को पुनः उक्त अधिकारी से वर्कशाप में इनके कक्ष में मिला तो मेरे से ट्रांसफर ग्रांट की एवज में 12000 रुपये रिश्वत की मांग की और मुझे आज 04:30 पीएम बजे तक बुलाया है तथा रिश्वत राशि 12000 रुपये वहीं पास में स्थित तारा स्टूडियो पर नकद देने के लिए कहा है। मैं नरेंद्र कुमार सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हूँ व रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मैंने मेरे ट्रांसफर ग्रांट का आवेदन दिनांक 27.10.2021 को दिया हुआ है इसके अलावा मेरे निजी सामान की ढुलाई के खर्च की प्रतिपूर्ति का भी आवेदन मैं आज सहायक कार्मिक अधिकारी नरेंद्र कुमार सिवासिया के पास प्रस्तुत करूंगा तो वह कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट व आज प्रस्तुत करने वाले आवेदन निजी सामान की ढुलाई के खर्च की प्रतिपूर्ति के कार्य लिए पुनः रिश्वत राशि की मांग करेगा। मेरी नरेंद्र कुमार सिवासिया से कोई रंजिश नहीं है, न ही कोई उधारी लेन-देन है। मैं नरेंद्र कुमार सिवासिया को रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। मेरे सेवा अभिलेख में मेरा स्थायी पता बी-101, ईशानिया फलारेंदा, गायित्री पेट्रोल पंप के पीछे, उंडेरा गोरवा, वडोदरा, जिला वडोदरा-गुजरात पिन 391310 है। इस कारण मुझे सरकारी नियमानुसार कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट व निजी सामान की ढुलाई के खर्च की प्रतिपूर्ति की राशि देय है। यह प्रार्थना पत्र मैं मेरे परिचित से कंप्यूटर पर टाईप करवाकर लाया हूँ जिस पर बतौर प्रार्थी मेरे ही हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट परिवादी एवं मजीद दरियाफत से मामला पीसी एक्ट की परिधि में आना पाया जाने से श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो, बीकानेर जो अवकाश पर हैं, को जरिये दूरभाष निवेदन किया गया।

तत्पश्चात परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा को रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने के संबंध में प्रक्रिया से अवगत करवाया गया। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मैं आज श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया सहायक कार्मिक अधिकारी से लालगढ वर्कशाप में उनके कार्यालय में व्यक्तिगत संपर्क करके सत्यापन वार्ता करवा सकता हूँ। इस पर श्री मनोहरलाल कानि. 115 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर चौकी के मालखाना से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड लाने के निर्देश पर श्री मनोहरलाल कानि ने मालखाना प्रभारी श्री बजरंग सिंह हैड कानि. 54 से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। श्री मनोहरलाल कानि का मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाया। डिजिटल टेप रिकॉर्डर में वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से परिवादी एवं श्री मनोहरलाल कानि. को समझाया गया एवं नया मेमोरी कार्ड डिजिटल टेप रिकॉर्डर में स्थापित किया गया। परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आज लंच के बाद करीब 03:00 पीएम के आस पास श्री नरेंद्र कुमार सिवासिया अपने कार्यालय में मिल पाएंगे। इसलिए मैं सत्यापन हेतु 03:00 पीएम पर वहां पहुंचूंगा तो उचित रहेगा। इस पर श्री मनोहरलाल कानि को मय परिवादी कार्यालय में मुकीम रहने के निर्देश दिए। डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मन पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। वक्त 02:45 पीएम पर श्री मनोहरलाल कानि 115 को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर परिवादी श्री राजेंद्र कुमार शर्मा के

(Handwritten signature)